

वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2019-चैत्र 22, शके 1941

भाग 3 ( 1 )

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

**MADHYA PARDESH POLLUTION CONTROL BOARD**

**E-5 SECTOR, PARYAWARAN PARISER, ARERA COLONY, BHOPAL-462016 (M.P.)**

Bhopal, Dated: 28 March, 2019

No. 677.—As Per power conferred under section-17 sub section "C" of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 (6/1974), Madhya Pradesh Pollution Control Board hereby notified the Inlet Quality Standards for the **Common Effluent Treatment Plant (CETP), Industrial Area, Govindpura, Bhopal (M.P.)** with immediate effect namely :-

**Common Effluent Treatment Plants (CETP) Industrial Area, Govindpura, Bhopal (M.P.)**

S. No.	Maximum permissible limit	
	Parameter	Standards
1	2	3
1.	pH - pH Value (Range)	4.0 to 11.0
2.	Temperature - Degrees Centigrade (Range)	20-40
3.	Oil & Grease	20 mg/l
• Inlet	4. Ammonical Nitrogen (N)	50 mg/l
Quality	5. Cynide (CN) max	0.2 mg/l
Standards	6. Cromium Hexavalent (Cr <sup>+6</sup> )	0.1 mg/l
	7. Total Cromium (Cr)	2.0 mg/l
	8. Copper, (Cu)	3.0 mg/l

	1	2	3
● Inlet Quality Standards	9.	Lead, (Pd)	0.1 mg/l
	10.	Nickel (Ni)	3.0 mg/l
	11.	Zinc (Zn)	5.0 mg/l
	12.	Arsenic(As)	0.2 mg/l
	13.	Mercury (Hg)	0.01 mg/l
	14.	Cadmium (Cd)	0.05 mg/l
	15.	Selenium (Se)	0.05 mg/l

**Notes:-**

- Standards for general parameters shall be applicable for all the industries.
- In case of discharge of treated effluent on land for irrigation, the impact on soil and ground water quality shall be monitored twice a year (pre and post monsoon) by Common Effluent Treatment Plant (CETP) Management for combined discharge of treated effluent and sewage on land for irrigation, the mixing ratio with sewage shall be prescribed by the State Board.
- Treated effluent standards and Sector specific industries standards shall be applicable as per **Gazette Notification (Govt. of India) Dated 01/01/2016.**
- Specific parameters for some important sector, selected from sector specific standards.

Sector	Specific Parameters
Textile	Bio-assay test, Total Chromium, Sulphide, Phenolic compounds.
Tanneries	Sulphides, Total Chromium, Oil & Grease, Chlorides.
Dye & Dye Intermediate	Oil & Grease, Phenolic, Compounds, Cadmium, Copper, Manganese, Lead, Mercury, Nickel, Zinc, Hexavalent Chromium, Total Chromium, Bio-assay test, Chlorides, Sulphates.
Organic Chemical Manufacturing Industry	Oil & Grease, Bio-assay test, Nitrates, Arsenic, Hexavalent Chromium, Total Chromium, Lead, Cyanide, Zinc, Mercury, Copper, Nickel, Phenolic Compounds, Sulphides.
Pharmaceutical Industry	Oil & Grease, Bio-assay test, Mercury, Arsenic, Hexavalent Chromium, Lead, Cyanide, Phenolic Compounds, Sulphides, Phosphates.

(30-A-B)

भोपाल, दिनांक 28 मार्च, 2019

क्र.677.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (6/1974) की धारा-17 उपधारा "ग" में दिये गये निर्देशों के अनुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण बोर्ड संयुक्त उपचार संयंत्र औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) के अन्तर्गम निस्त्राव गुणवत्ता हेतु निम्नानुसार मानक निर्धारित करता है, जो अधिसूचना जारी होने की दिनांक से मानक प्रभावशील होंगे :-

**संयुक्त बहिःस्राव उपचार संयंत्र, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल ( म.प्र. )****अधिकतम अनुमेय सीमा ( Maximum permissible limit )**

क्र.	पैरामीटर्स	मानक
1	2	3

- अन्तर्गम  
गुणवत्ता के मानक
- |    |                                |             |
|----|--------------------------------|-------------|
| 1. | पी. एच.-(पी. एच. यूनिट) (रेंज) | 4.0 से 11.0 |
|----|--------------------------------|-------------|

	1	2	3
● अन्तर्गम गुणवत्ता के मानक	2.	तापमान-डिग्री सेंटीग्रेट (रेंज)	20-40
	3.	तेल एवं ग्रीस	20 मि. ग्रा./लीटर
	4.	अमोनिकल नाइट्रोजन	50 मि. ग्रा./लीटर
	5.	सायनाइड	0.2 मि. ग्रा./लीटर
	6.	क्रोमियम हैक्सावैलेंट अधिकतम	0.1 मि. ग्रा./लीटर
	7.	टोटल क्रोमियम अधिकतम	2.0 मि. ग्रा./लीटर
	8.	तांबा	3.0 मि. ग्रा./लीटर
	9.	लेड	0.1 मि. ग्रा./लीटर
	10.	निकिल	3.0 मि. ग्रा./लीटर
	11.	जस्ता	5.0 मि. ग्रा./लीटर
	12.	आर्सेनिक	0.2 मि. ग्रा./लीटर
	13.	पारा	0.01 मि. ग्रा./लीटर
	14.	कैडमियम	0.05 मि. ग्रा./लीटर
	15.	सेलेनियम	0.05 मि. ग्रा./लीटर

## टीप:-

1. सामान्य प्रचालकों के मानक सभी उद्योगों में प्रभावशील होंगे.
2. सिंचाई के लिए भूमि पर उपचारित बहिःस्राव के निस्सारण की दशा में, संयुक्त बहिःस्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) प्रबंधन द्वारा मृदा और भूजल क्वालिटी पर प्रभाव के आंकलन हेतु मॉनिटरिंग वर्ष में दो बार (मानसून से पूर्व और उसके पश्चात्) की जायेगी. सिंचाई के लिए भूमि पर उपचारित बहिःस्राव और मल जल के संयुक्त निस्सारण के लिए, मल जल के साथ मिश्रण का अनुपात राज्य बोर्ड द्वारा विहित किया जायेगा.
3. उपचारित बहिःस्राव गुणवत्ता के मानक तथा विशिष्ट प्रचालक के मानक भारत का राजपत्र अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2016 के अनुसार हैं.
4. सेक्टर विनिर्दिष्ट उद्योगों से चयनित कुछ महत्वपूर्ण सेक्टरों के लिए विनिर्दिष्ट पैरामीटर:-

सेक्टर	विनिर्दिष्ट पैरामीटर
कपड़ा उद्योग (Textile)	कुल क्रोमियम, सल्फाइड, फिनोलिक यौगिक मिश्रण, जैव आमपन (बॉयोऐसे) परीक्षण.
चर्म शोधनशाला (Tanneries)	सल्फाइड, कुल क्रोमियम, तेल और ग्रीस, क्लोराइड.
डाई और डाई इंटरमिडिएट (Dye & Dye Intermediate)	तेल और ग्रीस, फिनोलिक यौगिक मिश्रण, कैडमियम, तांबा, मैगनीज, सीसा, पारा, निकिल, जस्ता, हैक्जावैलेंट क्रोमियम, कुल क्रोमोयम, जैव-आमपन परीक्षण, क्लोराइड, सल्फेट.
जैविक रासायनिक विनिर्माण उद्योग (Organic Chemicals Manufacturing Industry)	तेल और ग्रीस, जैव-आमपन परीक्षण, नाइट्रेट, आर्सेनिक, हैक्जावैलेंट क्रोमियम, कुल क्रोमियम, सीसा, सायनाइड, जस्ता, पारा, तांबा, निकिल, फिनोलिक यौगिक मिश्रण, सल्फाइड.
औषधीय उद्योग (Pharmaceutical Industry)	तेल और ग्रीस, जैव-आमपन परीक्षण, पारा, आर्सेनिक, हैक्जावैलेंट क्रोमियम, सीसा, सायनाइड, फिनोलिक यौगिक मिश्रण, सल्फाइड, फास्फेट.

(30-B.)

Bhopal, Dated: 28 March, 2019

No. 678.—As per power conferred under section-17 sub section"C"of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 (6/1974), Madhya Pradesh Pollution Control Board hereby notified the

Inlet Quality Standards for the **Common Effluent Treatment Plant (CETP), Industrial Area Sawer Road Sector-F, Indore** with immediate effect namely:- :-

**Common Effluent Treatment Plants (CETP) Industrial Area, Sawer Road Sector-F, Indore (M.P.)**

	S. No.	Maximum permissible limit	
		Parameter	Standards
		1	2
● Intel Quality Standards	1.	pH -pH Value (Range)	5.5 to 11.0
	2.	Temperature -Degrees Centigrade (Range)	20-40
	3.	Oil & Grease	50 mg/l
	4.	Ammonical Nitrogen (N)	100 mg/l
	5.	Cynide (CN)	0.2 mg/l
	6.	Cromium Hexavalent (Cr <sup>+6</sup> )	0.1 mg/l
	7.	Total Cromium (Cr)	2.0 mg/l
	8.	Copper, (Cu)	3.0 mg/l
	9.	Lead, (Pd)	0.1 mg/l
	10.	Nickel (Ni)	3.0 mg/l
	11.	Zinc (Zn)	5.0 mg/l
	12.	Arsenic(As)	0.2 mg/l
	13.	Mercury (Hg)	0.01 mg/l

**Notes:-**

- Standards for general parameters shall be applicable for all the industries.
- In case of discharge of treated effluent on land for irrigation, the impact on soil and ground water quality shall be monitored twice a year (pre and post monsoon) by Common Effluent Treatment Plant (CETP) Management for combined discharge of treated effluent and sewage on land for irrigation, the mixing ratio with sewage shall be prescribed by the State Board.
- Treated effluent standards and Sector specific industries standards shall be applicable as per **Gazette Notification (Govt. of India) Dated 01/01/2016**.
- Specific parameters for some important sector, selected from sector specific standards.

Sector	Specific Parameters
Textile	Bio-assay test, Total Chromium, Suphide, Phenolic compounds.
Tanneries	Sulphides, Total Chromium, Oil & Grease, Chlorides.
Dye & Dye Intermediate	Oil & Grease, Phenolic, Compounds, Cadmium, Copper, Manganese, Lead, Mercury, Nickel, Zinc, Hexavalent Chromium, Total Chromium, Bio-assay test, Chlorides, Sulphates.
Organic Chemical Manufacturing Industry	Oil & Grease, Bio-assay test, Nitrates, Arsenic, Hexavalent Chromium, Total Chromium, Lead, Cyanide, Zinc, Mercury, Copper, Nickel, Phenolic Compounds, Sulphides.

Sector	Specific Parameters
Pharmaceutical Industry	Oil & Grease, Bio-assay test, Mercury, Arsenic, Hexavalent Chromium, Lead Cyanide, Phenolic Compounds, Sulphides, Phosphates.

(31-A-B.)

भोपाल, दिनांक 28 मार्च, 2019

क्र.678.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (6/1974) की धारा एवं 17 उपधारा “ग” में दिये गये निर्देशों के अनुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण बोर्ड संयुक्त उपचार संयंत्र औद्योगिक क्षेत्र, सांवेर रोड, सेक्टर-एफ इन्दौर (म.प्र.) के अन्तर्गत निस्त्राव गुणवत्ता हेतु निम्नानुसार मानक निर्धारित करता है, जो अधिसूचना जारी होने की दिनांक से मानक प्रभावशील होंगे :-

### संयुक्त बहिःस्राव उपचार संयंत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सांवेर रोड, सेक्टर-एफ इन्दौर (म.प्र.)

#### अधिकतम अनुमेय सीमा ( Maximum permissible limit )

क्र.	पैरामीटर्स	मानक
1	2	3
1.	पी. एच.-(पी. एच. यूनिट) (रेंज)	5.5-11.0
2.	तापमान-डिग्री सेंटीग्रेट (रेंज)	20-40
3.	तेल एवं ग्रीस	50 मि. ग्रा./लीटर
4.	अमोनिकल नाइट्रोजन	100 मि. ग्रा./लीटर
● अन्तर्गम	5. सायनाइड	0.2 मि. ग्रा./लीटर
गुणवत्ता	6. क्रोमियम हैक्सावैलेंट	0.1 मि. ग्रा./लीटर
के मानक	7. टोटल क्रोमियम	2.0 मि. ग्रा./लीटर
	8. तांबा	3.0 मि. ग्रा./लीटर
	9. लेड	0.1 मि. ग्रा./लीटर
	10. निकिल	3.0 मि. ग्रा./लीटर
	11. जस्ता	5.0 मि. ग्रा./लीटर
	12. आर्सेनिक	0.2 मि. ग्रा./लीटर
	13. पारा (मरक्युरी)	0.01 मि. ग्रा./लीटर

टीप:-

- सामान्य प्रचालकों के मानक सभी उद्योगों में प्रभावशाली होंगे.
- सिंचाई के लिए भूमि पर उपचारित बहिःस्राव के निस्सारण की दशा में संयुक्त बहिःस्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) प्रबंधन द्वारा मृदा और भूजल क्वालिटी पर प्रभाव के आंकलन हेतु मॉनिटरिंग वर्ष में दो बार (मानसून से पूर्व और उसके पश्चात्) की जायेगी. सिंचाई के लिए भूमि पर उपचारित बहिःस्राव और मल-जल के संयुक्त निस्सारण के लिए मल-जल के साथ मिश्रण का अनुपात राज्य बोर्ड द्वारा विहित किया जायेगा.
- उपचारित बहिःस्राव गुणवत्ता के मानक तथा विशिष्ट प्रचालक के मानक भारत का राजपत्र अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2016 के अनुसार है.
- सेक्टर विनिर्दिष्ट मानकों से चयनित कुछ महत्वपूर्ण सेक्टरों के लिए विनिर्दिष्ट पैरामीटर:-

सेक्टर	विनिर्दिष्ट पैरामीटर
कपड़ा उद्योग (Textile)	कुल क्रोमियम, सल्फाइड, फिनोलिक यौगिक मिश्रण, जैव आमामन (बायोएसे) परीक्षण.
चर्म शोधनशाला (Tanneries)	सल्फाइड, कुल क्रोमियम, तेल और ग्रीज, क्लोराइड.

सेक्टर	विनिर्दिष्ट पैरामीटर
डाई और डाई इंटरमिडिएट (Dye & Dye Intermediate)	तेल और ग्रीज, फिनोलिक यौगिक मिश्रण, कैडमियम, तांबा, मैंगनीज, सीसा, पारा, निकिल, जस्ता, हैक्जावेलेंट क्रोमियम, कुल क्रोमोयम, जैव-आमापन परीक्षण, क्लोराइड, सल्फेट.
जैविक रासायनिक विनिर्माण उद्योग (Organic Chemicals Manufacturing Industry)	तेल और ग्रीज, जैव-आमापन परीक्षण, नाइट्रेट, आर्सेनिक, हैक्जावेलेंट क्रोमियम, कुल क्रोमियम, सीसा, सायनाइड, जस्ता, पारा, तांबा, निकिल, फिनोलिक यौगिक मिश्रण, सल्फाइड.
औषधीय उद्योग (Pharmaceutical Industry)	तेल और ग्रीज, जैव-आमापन परीक्षण, पारा, आर्सेनिक, हैक्जावेलेंट क्रोमियम, सीसा, सायनाइड, फिनोलिक यौगिक मिश्रण, सल्फाइड, फास्फेट.

मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड  
के लिये तथा आदेशानुसार.

**ए. ए. मिश्रा,**  
सदस्य सचिव.

(31-बी.)

### नाम परिवर्तन

मैं, सोना तिवारी पिता श्री नारायण प्रसाद तिवारी, उम्र 31 साल, निवासी बजरंग वार्ड क्रमांक 03, पन्ना, तहसील पन्ना, जिला पन्ना मध्यप्रदेश की होकर निम्न कथन शपथ पूर्वक करती हूँ कि मेरा नाम स्कूल की अंकसूची, बैंक खाता में सोना तिवारी पिता श्री नारायण प्रसाद तिवारी दर्ज है. जिसमें सोनाली तिवारी पिता श्री नारायण प्रसाद तिवारी का नाम दर्ज कराना चाहती हूँ मुझे इसी नाम से माना जाये मैं, आज दिनांक से अपना नाम सोना तिवारी के स्थान पर सोनाली तिवारी अपनी स्वेच्छा से परिवर्तित करा रही हूँ.

पुराना नाम :  
( सोना तिवारी )

पुत्री-श्री नारायण प्रसाद तिवारी,  
निवासी-बजरंग वार्ड क्रमांक 03, पन्ना,  
तहसील पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.).

नया नाम :  
( सोनाली तिवारी )

(32-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि अब तक मैं, सिमरन पिता अलताब पटेल के नाम से जानी पहचानी जाती थी तथा मेरा धर्म इस्लाम है. मैंने अपनी धार्मिक भावनाओं के कारण अपना नाम सिमरन बदलकर अमरीन पटेल पिता अलताब पटेल कर लिया है. अतः जाहिर सूचना के प्रकाशन उपरांत मुझे केवल अमरीन पटेल पिता अलताब पटेल के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :  
( सिमरन )  
पिता-अलताब पटेल.

नया नाम :  
( अमरीन पटेल )  
पिता-अलताब पटेल,  
पता-11, पटेल मोहल्ला, तालाब रोड,  
खजराना, इन्दौर (म.प्र.).

(33-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम श्रीमती रमा पटेल पत्नी श्री रामकृष्ण पटेल था. जो कि अधूरा नाम है. जिसे मैं, सुधार करके पूरा नाम श्रीमती रामकली पटेल कर लिया है. अतः अब मुझे मेरे पूरा नाम रामकली पटेल के नाम से जाना-पहचाना जाये एवं मेरे समस्त दस्तावेजों जिनमें मेरा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जमीन रजिस्ट्री, बैंक अकाउंट आदि शामिल है, में मेरा नाम रामकली पटेल लिखा व पढ़ा जाये.

पुराना नाम :  
( रमा पटेल )  
पत्नी-श्री रामकृष्ण पटेल.

नया नाम :  
( रामकली पटेल )  
पत्नी-श्री रामकृष्ण पटेल,  
निवासी-ग्रा. पो. बिठौली, तहसील सिहावल,  
थाना अमिलिया, जिला सीधी (म.प्र.).

(34-बी.)

**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ शपथकर्ता का एल. आई. सी. में पॉलिसी नं. 200280988 नाम सुरेन्द्र सिंह पवार S/o श्री केशव सिंह परमार अंकित है. जो कि गलत है. जबकि मेरे बैंक खाते व अन्य सभी दस्तावेजों में मेरा नाम सुरेन्द्र सिंह परमार S/o श्री केशव सिंह परमार तथा आधार नं. 440635186113 अंकित है जो कि सही व सत्य है. अतः दोनों नाम मुझ शपथकर्ता के ही हैं और मैं सभी काम सुरेन्द्र सिंह परमार के नाम से ही करता हूँ. अतः भविष्य में मुझ शपथकर्ता को सुरेन्द्र सिंह परमार के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :  
( सुरेन्द्र सिंह पवार )

(35-बी.)

नया नाम :  
( सुरेन्द्र सिंह परमार )  
S/o श्री केशव सिंह परमार  
निवासी-क्वार्टर नं. 30, सेवा नगर,  
ग्वालियर ( म.प्र. ).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम कु. रिचा भदौरिया था, उस नाम से मेरे पास जीवन बीमा निगम की एक पॉलिसी क्र. 200037155 भी है. अब मैंने अपना नाम बदलकर अंशिका भदौरिया रख लिया है. मुझे भविष्य में इस नाम से जाना-पहचाना जाये.

पुराना नाम :  
( कु. रिचा भदौरिया )

(36-बी.)

नया नाम :  
( अंशिका भदौरिया )  
पुत्री-श्री अखिलेश सिंह भदौरिया,  
169, प्रगति नगर, आशा बेकरी के पास,  
बिरला नगर, ग्वालियर ( म.प्र. ).

**नाम परिवर्तन**

मैं, श्रीमती स्नेहा अनिमेष तिकी सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम कु. स्नेहा अलेक्स कुजूर पुत्री श्री अलेक्सियुस कुजूर (KU. SNEHA ALEX KUJUR D/O ALEXIUS KUJUR) था. मेरा विवाह ईसाई रीति-रिवाज से दिनांक 23-10-2017 को श्री अनिमेष तिकी के साथ हो गया है. विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमति स्नेहा अनिमेष तिकी पत्नी श्री अनिमेष तिकी (SMT. SNEHA ANIMESH TIRKEY W/O ANIMESH TIRKEY) हो गया है, वर्तमान में मैं, इसी नाम श्रीमती स्नेहा अनिमेष तिकी पत्नी श्री अनिमेष तिकी (SMT. SNEHA ANIMESH TIRKEY W/O ANIMESH TIRKEY) के नाम से पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी इसी नाम श्रीमती स्नेहा अनिमेष तिकी पत्नी श्री अनिमेष तिकी (SMT. SNEHA ANIMESH TIRKEY W/O ANIMESH TIRKEY) के नाम से ही जानी, पहचानी जाऊंगी तथा मेरे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, शैक्षणिक, शासकीय अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम श्रीमती स्नेहा अनिमेष तिकी पत्नी श्री अनिमेष तिकी (SMT. SNEHA ANIMESH TIRKEY W/O ANIMESH TIRKEY) अंकित किया जाये, भविष्य में भी मुझे श्रीमती स्नेहा अनिमेष तिकी पत्नी श्री अनिमेष तिकी के नाम से पहचाना एवं पुकारा जाये. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

पुराना नाम :  
( कु. स्नेहा अलेक्स कुजूर )

(39-बी.)

नया नाम :  
( स्नेहा अनिमेष तिकी )  
निवासी-126/9ए, साकेत नगर, तहसील हुजूर,  
जिला-भोपाल ( म.प्र. ).

**नाम परिवर्तन**

मैं, ब्रजेश कुमार सक्सेना (BRAJESH KUMAR SAXENA) सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा नाम ब्रजेश कुमार सक्सेना (BRAJESH KUMAR SAXENA) है जो मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, राशनकार्ड, बैंक इत्यादि में अंकित है जबकि मेरी बी. एस. एन. एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा नाम बी. के. सक्सेना (B. K. SAXENA) अंकित हो गया है एवं मैं, वर्तमान ब्रजेश कुमार सक्सेना (BRAJESH KUMAR SAXENA) पुत्र श्री रमेश नारायण सक्सेना के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं, इसी नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा. अतः मेरे बी. एस. एन. एल. विभाग के सर्विस बुक में मेरा सही नाम ब्रजेश कुमार सक्सेना (BRAJESH KUMAR SAXENA) पुत्र श्री रमेश नारायण सक्सेना अंकित किया जाए. सर्वजन एवं आमजन सूचित हो.

पुराना नाम :  
( बी. के. सक्सेना )  
( B. K. SAXENA )

(41-बी.)

नया नाम :  
( ब्रजेश कुमार सक्सेना )  
( BRAJESH KUMAR SAXENA )  
निवासी-सी-8, तानसेन रोड आर पी कॉलोनी,  
ग्वालियर ( म.प्र. ).

**उप-नाम परिवर्तन**

मैं, ज्योति बत्रा पत्नी श्री राजीव चावला, चावला ऑटो सेन्टर, शिंदे की छावनी, लश्कर, ग्वालियर सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम ज्योति बत्रा था. जो कि शादी के बाद मेरा नाम ज्योति चावला हो गया है. मेरी भारतीय जीवन-बीमा निगम की पॉलिसियों में ज्योति चावला हो गया है. जबकि मेरे सभी आई. डी. में, ज्योति बत्रा है. अब मैं, भारतीय जीवन बीमा की सभी पॉलिसियों में ज्योति बत्रा करवाना चाहती हूँ. मैं ही ज्योति बत्रा एवं ज्योति चावला एक व्यक्ति के नाम है. अतः मेरी भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसियों में भविष्य में श्रीमती ज्योति बत्रा के नाम से जाना जाये. आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो.

पुराना नाम :  
( ज्योति चावला )

नया नाम :  
( ज्योति बत्रा )

(43-बी.)

**नाम परिवर्तन**

मैं, श्रीमती सिया नागदेव पत्नी श्री रवि नागदेव, निवासी नागदेव भवन इनफ्रन्ट ऑफ गर्ल्स स्कूल गाढवे की गोठ, लश्कर, ग्वालियर घोषणा करती हूँ. मेरे शिक्षा संबंधी प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम अन्नु नंदवानी पुत्री श्री श्रीचंद नंदवानी अंकित है. विवाह उपरान्त मेरा नाम श्रीमती अन्नु उर्फ अनीता पत्नी श्री रवि नागदेव था. यही नाम मेरे स्वामित्व की दुकान दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर के वयनामा में अंकित है. अब मैंने अपना नाम परिवर्तित कर श्रीमती सिया नागदेव पत्नी श्री रवि नागदेव कर दिया है.

अतः भविष्य में मुझे श्रीमती सिया नागदेव पत्नी श्री रवि नागदेव से जाना, पहचाना व पढ़ा व पुकारा जावे.

पुराना नाम :  
( अन्नु उर्फ अनीता )

नया नाम :  
( सिया नागदेव )  
पत्नी श्री रवि नागदेव.

(44-बी.)

**उप-नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री साक्षी कपूर (Sakshi Kapoor) के जन्म प्रमाण-पत्र में उसका नाम साक्षी निहालचंदानी व पिता के उपनाम में शशि निहालचंदानी लिखा हुआ है, जो कि सही नहीं है. मेरी पुत्री का सही नाम साक्षी कपूर (Sakshi Kapoor) है व पिता का नाम (Shashi Kapoor) शशि कपूर है. उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरी पुत्री के हैं. अतः भविष्य में उसे उसके सही नाम साक्षी कपूर (Sakshi Kapoor) व पिता का नाम शशि कपूर के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

**SHASHI KAPOOR,**

निवासी-फ्लैट नं. 402 मनीष पैलेस,  
413, खातीवाला टैंक, इन्दौर (म.प्र.).

(45-बी.)

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सोनू कुमार पुत्र श्री अर्जुन लाल, जन्म दिनांक 19-11-1996 व्यवसाय अध्ययन, निवासी अशोक कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर मध्यप्रदेश. मैं, शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मैं उपरोक्त पते पर निवास करता हूँ मेरा पुराना नाम शेर सिंह है जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों, अंकसूची एवं आधार कार्ड में दर्ज है. मैंने अपना नाम बदलकर सोनू कुमार कर लिया है और अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम सोनू कुमार के नाम से ही जाना व पहचाना जावे तथा सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्य में मान्य किया जावे.

पुराना नाम :  
( शेर सिंह )

नया नाम :  
( सोनू कुमार )  
पुत्र-श्री अर्जुन लाल.

(46-बी.)

**नाम परिवर्तन**

मेरा नाम नीलम सूर्यवंशी के स्थान पर नीलम सिंह सूर्यवंशी परिवर्तित हुआ है तथा अनुसार जाना जावे.

पुराना नाम :  
( नीलम सूर्यवंशी )

नया नाम :  
( नीलमसिंह सूर्यवंशी )  
908, पिनेकल ड्रिम्स, इन्दौर.

(47-बी.)



**CHANGE OF NAME**

I, Surendra Kumar here by declare that I have change my name as Surendra Kumar Sirothia S/o Govind charan Sirothia so, from now and in future I will be known by my new name.Surendra Kumar Sirothia S/o Govind Charan Sirothia

Old Name :

**( SURENDRA KUMAR )**

(51-B.)

New Name :

**( SURENDRA KUMAR SIROTHIA )**

Add.-64, Trimurti Nagar, Dhar (M.P.).

**CHANGE OF NAME**

My old name Vijay Kumar has been changed known as Vijay Nagar S/o Anandi Lal Nagar.

Old Name :

**( VIJAY KUMAR )**

(52-B.)

New Name :

**( VIJAY NAGAR )**

Add:- H. No.117, Ward No. 29, Station Road

Braj Vihar, Shajapur (M.P.).

**नाम परिवर्तन**

सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह के पूर्व नाम रेनू अग्रवाल पुत्री श्री सुभाष चन्द गर्ग था. किन्तु विवाह के उपरांत मैंने अपना नाम रेनू अग्रवाल के स्थान पर श्रीमती निमिषा अग्रवाल रख लिया है.

अतः अब मुझे भविष्य में श्रीमती निमिषा अग्रवाल के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

**( रेनू अग्रवाल )**

(53-बी.)

नया नाम :

**( निमिषा अग्रवाल )**पत्नी-श्री रीतेश अग्रवाल,  
निवासी-10, शंति विहार दर्पण कॉलोनी,  
थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.).**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है प्रार्थी फर्म मैसर्स ए.एस. सिकरवार, एम-1367, न्यू दर्पण कालोनी, थाटीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 02/44/01/0325/15, दिनांक 04-03-2015 है जिसमें दिनांक 11-04-2018 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्र. 1. श्री अरविंद सिंह सिकरवार पुत्र श्री जबर सिंह सिकरवार आयु 42 वर्ष, निवासी 36/118, लक्ष्मी कालोनी, नैनागढ़ रोड़, मुरैना तथा पक्षकार क्र. 3 श्री जबर सिंह सिकरवार पुत्र श्री भूप सिंह सिकरवार आयु 83 वर्ष निवासी 36/118, लक्ष्मी कालोनी, नैनागढ़ रोड़, मुरैना जो अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं तथा उनके स्थान पर नवीन पक्षकार श्री करण सिंह सिकरवार पुत्र श्री अरविंद सिंह सिकरवार आयु 18 वर्ष निवासी 36/118, लक्ष्मी कालोनी, नैनागढ़ रोड़, मुरैना तथा पक्षकार श्री अरूण सिंह सिकरवार पुत्र श्री अरविंद सिंह सिकरवार आयु 37 वर्ष निवासी 36/118, लक्ष्मी कालोनी, नैनागढ़ रोड़, मुरैना जो नवीन पक्षकार के रूप में शामिल किये गये हैं तथा फर्म से पृथक् हुए साझेदार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेने-देन या अन्य कार्यों में अपने शेष के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

मैसर्स ए. एस. सिकरवार,

अरूण सिंह सिकरवार,

( भागीदार ).

(37-बी.)

**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स एक्वा टेंकक्लीन, डी-453, नेहरूनगर, भोपाल 462003 जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0296/15, दिनांक 28-10-2015 से पंजीयत है. जिसमें दिनांक 01-12-2018 को भागीदार श्री कमलेश विश्वकर्मा आत्मज श्री रामप्रसाद विश्वकर्मा, निवासी डी-454, नेहरूनगर, भोपाल अपनी स्वेच्छा से फर्म से सेवानिवृत्ति ले रहे हैं. इसी दिनांक से श्री हिमांशु विश्वकर्मा आत्मज श्री राकेश विश्वकर्मा, म.नं. 8, राजीव गांधी कॉलोनी, आनंदनगर, भोपाल नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं एवं फर्म के अन्य भागीदार यथावत रहेंगे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

मैसर्स एक्वा टेंकक्लीन,

1. निर्मला विश्वकर्मा, 2. हिमांशु विश्वकर्मा,

( भागीदार ).

(38-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म M/s V.S. ENTERPRISES पता H. No. 6/4-A, Saket Nagar, Bhopal रजिस्ट्रेशन क्रमांक 01/01/01/0364/17 की रचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं। Shri Santosh Kumar Jamoriya S/o Shri Karodilal Jamoriya, Address- HX-3, First Floor, Shastri Nagar, Bhopal दिनांक 10-09-2018 से भागीदारी फर्म से पृथक हुए। Smt. Neetu Tiwari W/o Vinod Tiwari, Address- H. No. 6/4-A, Saket Nagar, Bhopal, दिनांक 10-09-2018 से भागीदारी फर्म में सम्मिलित हुए।

M/s V.S. ENTERPRISES,  
**VINOD TIWARI,**  
(Partner)

Add- H. No. 6/4-A, Saket Nagar,  
Bhopal (M.P.).

(40-B.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री राधे प्रोपर्टीज पंजीयन क्र. 06/13/01/0069/17, दिनांक 28-08-2017 की भागीदारी फर्म में (1) श्री राजेश कुमार खरे आत्मज श्री चतुर्भुज खरे एवं (2) पूरन यादव आत्मज श्री प्रेमलाल यादव एवं (3) श्री रामचरन साहू आत्मज श्री लखनलाल साहू दिनांक 13 फरवरी 2019 से फर्म में सम्मिलित हो गये हैं। आमजन एवं सर्वसाधारण सूचित हो।

मेसर्स श्री राधे प्रोपर्टीज,  
**मुकेश पाठक,**  
(भागीदार)

C/O संतोष यादव, वार्ड नं. 18, शिवनगर कॉलोनी,  
कुँवरपुरा मण्डी रोड, तह. व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

(42-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 को हमारी फर्म मैसर्स के.वी. इलेक्ट्रिकल्स 192, लोकमान्य नगर, इंदौर में भागीदार श्री कमलाकर खानवलकर पिता श्री लक्ष्मण खानवलकर निवासी 192, लोकमान्य नगर इंदौर ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है एवं उसके स्थान पर श्रीमती वीणा खानवलकर पति कमलाकर खानवलकर व कुमारी तृप्ति खानवलकर पिता नवीन खानवलकर (अवयस्क) अभिभावक श्री नवीन खानवलकर पिता कमलाकर खानवलकर भागीदार दिनांक 03 अक्टूबर 2017 से बन गए हैं। मैं नवीन खानवलकर पिता श्री कमलाकर खानवलकर फर्म में पूर्ववत भागीदार हूँ, ज्ञात हो।

मैसर्स के.बी. इलेक्ट्रिकल्स,  
**नवीन खानवलकर,**  
(भागीदार)

192, लोकमान्य नगर, इंदौर.

(48-बी.)

### आम सूचना

हमारी फर्म मै. पीताम्बरा केमिकल्स जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 02/39/01/00163/10 है इसमें चार पार्टनर 1. श्री संतोष कुमार पुरोहित, 2. श्रीमती राम श्री पुरोहित, 3. आभा पुरोहित, 4. नीरज पुरोहित थे जिसमें से श्रीमती रामश्री पुरोहित का निधन हो गया है। जिसके कारण वर्तमान स्थिति में आज दिनांक 27-03-2019 को इसमें तीन पार्टनर हैं। जिसका विवरण 1. श्री संतोष कुमार पुरोहित, 2. आभा पुरोहित, 3. नीरज पुरोहित है।

सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

M/s Pitambara Chemicals,  
**SANTOSH KUMAR PUROHIT,**  
(Partner).

Datia (M.P.).

(49-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स अपूर्व एजेन्सी के नाम से एक भागीदार फर्म है। यह फर्म दिनांक 26 अप्रैल 2011 से पंजीकृत है। इसमें (1) श्रीमती राजकुमारी सिंह, (2) नवनीत सिंह, (3) नेहा सिंह, (4) अपूर्व सिंह भागीदार थे। इस फर्म

में दिनांक 16 दिसम्बर 2018 को श्रीमती राजकुमारी सिंह पति स्व. दादू योगेन्द्रनाथ सिंह का देहान्त हो चुका है और भागीदारी फर्म में इनकी भागीदारी समाप्त मानी जाये.

अतः उक्त भागीदारी फर्म में शेष 3 भागीदार शामिल हैं- 1. नवनीत सिंह 2. नेहा सिंह 3. अपूर्व सिंह सभी निवासी सिवनी शामिल हैं.

अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 16 दिसम्बर 2018 से संशोधन उपरान्त तीन भागीदार शामिल हैं.

मैसर्स अपूर्व एजेन्सी,  
अपूर्व सिंह,  
(भागीदार).

(50-बी.)

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक सार्वजनिक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, दमोह

प्ररूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक दमोह, जिला दमोह के समक्ष.

यतः कि हेमचंद्र मंत्री आचार्य उदारसागर दिगम्बर जैन संस्थान धर्मार्थ श्री मुनि सुव्रत तीर्थ ट्रस्ट कमेटी, निवासी ग्राम बांसातारखेड़ा, तहसील दमोह, जिला दमोह ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा-04 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 25 मार्च, 2019 को 02:00 बजे कार्यालयीन दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए, कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता : "आचार्य उदारसागर दिगम्बर जैन संस्थान धर्मार्थ ट्रस्ट श्री मुनि सुव्रत तीर्थ ट्रस्ट कमेटी".
2. न्यास की अचल सम्पत्ति : मौजा-सिहोरा ख.नं.नं. 501/1, 501/2 रकवा 0.47, 544/1, 544/2, 544/3 रकवा 0.21, 0.30 कुल 0.51 हे.

रवीन्द्र चौकसे,  
पंजीयक.

(236)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, उपखण्ड आलोट, जिला रतलाम

प्र.क. 0001/बी-113/2018-19/

आलोट, दिनांक 12 मार्च, 2019

उद्घोषणा

प्रारूप-चतुर्थ

[देखिये नियम-5(1) ]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951(एक) का अधिनियम तीसवां की धारा 5(2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम 5(1)अनुसार]

क्र./590/री-1/19.— चूँकि श्री वासुपुज्य राजेन्द्र जयन्त सेन सुरी जैन मंदिर ट्रस्ट, रानीपुरा आलोट, जिला रतलाम द्वारा

अध्यक्ष श्री शिवकुमार पिता धुलचन्द जी पारिख, निवासी आलोट ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 अनुसार नीचे दर्शाई गई संपत्ति एवं पब्लिक ट्रस्ट का पंजीयन कराने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है। अतएव सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में नियत दिनांक 12 अप्रैल, 2019 को प्रातः 11:00 बजे मेरे न्यायालय में सुनवाई की जावेगी।

अतः कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आपत्ति/आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना चाहता है तो वह इस अधिसूचना के निकलने से एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत कर सकता है नियत अवधि के दिन स्वयं या अपने अधिवक्ता या ऐजेन्ट द्वारा मेरे समक्ष में उपस्थित हों

निर्धारित समय के समाप्त होने पर प्रस्तुत किये गये आक्षेप पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### अधिसूची

1. ट्रस्ट का नाम : वासुपूज्य राजेन्द्र जयन्त सेन सुरी जैन मंदिर ट्रस्ट, रानीपुरा आलोट, जिला रतलाम.
2. अचल सम्पत्ति का विवरण : कस्बा आलोट, नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 11 में स्थित वासुपूज्य जैन मंदिर का भवन एवं उपाश्रय जिसके तल मंजिल में उपाश्रय होकर प्रथम मंजिल पर वासुपूज्य जैन मंदिर है.

#### 3. चल संपत्ति:-

##### 1. श्री वासुपूज्य जैन श्वेताम्बर मंदिर आलोट की जमा धनराशि का विवरण-

- (अ) सतपुडा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा आलोट एफ. डी. राशि रुपये 1,00,190/- व ब्याज.
- (ब) वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि साख सरकारी संस्था मर्या., आलोट में जमा एफ. डी. राशि रुपये 1,60,301/- व ब्याज.
- (स) बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा आलोट में जमा एफ. डी. राशि रुपये 47,137/- व ब्याज.
- (द) बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा आलोट में जमा एफ. डी. राशि रुपये 40,000/- व ब्याज.
- (इ) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा आलोट में जमा एफ. डी. राशि रुपये 1,03,426/- व ब्याज
- (फ) बैंक ऑफ बडौदा, शाखा आलोट में जमा एफ. डी. राशि रुपये 90,000/- व ब्याज
- (य) भारतीय स्टेट बैंक, शाखा आलोट में जमा एफ. डी. राशि रुपये 1,37,689/- व ब्याज
- (र) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., रतलाम, शाखा आलोट में जमा एफ. डी. राशि रुपये 1,20,306/- व ब्याज.
- (ल) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., रतलाम, शाखा आलोट में जमा एफ. डी. राशि रुपये 1,27,336/- व ब्याज.
- (व) सागर एग्री इनपुट्स फर्म पर जमा धनराशि रुपये 4,91,748/- व ब्याज.

##### 2. श्री राजेन्द्रसुरी गुरु मंदिर अखण्ड ज्योति आलोट की जमा धनराशि का विवरण-

- (अ) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा आलोट में बचत खाता क्रमांक 1955786012 में जमा धन राशि रुपये 872/- व ब्याज.
- (ब) भारतीय स्टेट बैंक, शाखा आलोट के बचत खाता क्रमांक 530397712658 में जमा धनराशि रुपये 3971/- व ब्याज.
- (स) श्री संजय कुमार पिता शांतिलाल जैन, निवासी आलोट की संयुक्त हिन्दू परिवार फर्म पर जमा धन राशि रुपये 13,75,975/- व ब्याज.

##### 3. श्री राजेन्द्र सुरीश्वर जी महाराज जैन मंदिर, आलोट की जमा धनराशि का विवरण-

- (अ) वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि साख सरकारी संस्था मर्या., आलोट में जमा एफ. डी. राशि रुपये 96,180/- व ब्याज.

आज दिनांक 08 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी.

सी. एस. सोलंकी,  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) क्षेत्र सरदारपुर जिला धार**

प्र.क. 02/2018-19/बी-113.

एतद् द्वारा सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अध्यक्ष श्री त्रिलोकचन्द्र पिता स्व. श्री मिश्रीलाल जैन निवासी इन्दौर एवं अशोककुमार पिता धरमचन्द जैन निवासी इन्दौर द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा-4 के अंतर्गत “ श्री चंद्रप्रभु श्वेताम्बर जैन मूर्तिपूजक तपागच्छ न्यास मंदिर परिसर ग्राम बरमण्डल, तहसील सरदारपुर, जिला धार ” को लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु प्ररूप क्रमांक 3 नियम 4(2) के तहत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

2. अतः मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 की उपधारा-1 और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार उक्त ट्रस्ट के पंजीयन किये जाने के संबंध में यदि किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह व्यक्ति स्वयं या मार्फत अभिभाषक के विज्ञप्ति प्रसारण दिनांक से पेशी दिनांक 12 अप्रैल, 2019 के भीतर मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति 02 प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. बाद मियाद समाप्ति के किसी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

3. यह विज्ञप्ति आज दिनांक 01 मार्च, 2019 को मेरे न्यायालय तथा हस्ताक्षर मुद्रा से जारी की गई.

**सत्यनारायण दर्श,**

(284)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ).

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास बण्डा, जिला सागर**

बण्डा, दिनांक 11 मार्च, 2019

प्र.क्र./बी-01बी/113/वर्ष 2017-18.

मौजा-बण्डा, तहसील बण्डा.

1. राजेन्द्र कुमार पिता बालचंद जैन

निवासी मोकलमउ, तहसील बण्डा, जिला सागर.

.....आवेदक

**विरुद्ध**

2. मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

क्र./क/01/रीडर-1/2019—सर्व-साधारण को इशतहार के जरिये सूचित किया जाता है कि मौजा मोकलमउ प. ह.नं. 67, तहसील-बण्डा, जिला सागर में स्थित श्री देव पारसनाथ जी मंदिर मोकलमउ मुह. बालचंद पिता हजारीलाल, निवासी मोकलमउ, तहसील बण्डा प्रबन्धक कलेक्टर महोदय सागर के नाम मौजा मोकलमउ स्थित भूमि खसरा नं. 614, 1318 रकबा कुल 0.1.54, 2.09 हे. दर्ज है. मुहत्तमकार बालचंद पिता हजारीलाल के बीमार रहने के कारण आवेदक राजेन्द्र कुमार पिता बालचंद सा. मोकलमउ को खसरा नं. 614, 1318 रकबा कुल 0.1.54, 2.09 हे. पर पूर्व मुह. के स्थान पर राजेन्द्र कुमार पिता बालचंद सा. मोकलमउ प्रबन्धक कलेक्टर महोदय सागर का नाम दर्ज किए जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

आवेदन पर तहसीलदार, बण्डा से प्रतिवेदन लिया गया उन्होंने अपने प्रतिवेदन दिनांक 13 अगस्त, 2018 में लेख किया है आवेदक को मंदिर व्यवस्थापक नियुक्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

अतः आवेदक राजेन्द्र कुमार पिता बालचंद, सा. मोकलमउ को मुहत्तमकार नियुक्त किए जाने में जिस किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति समक्ष में पेशी दिनांक 22 मई, 2019 को स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. बाद म्याद गुजरने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा.

इशतहार आज दिनांक 11 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

**विनय द्विवेदी,**

(239)

अनुविभागीय अधिकारी.

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं पंजीयक, लोक न्यास, सेंधवा, जिला बड़वानी**

प्र.क. 01/बी-113(1)/2018-19.

सेंधवा, दिनांक 14 मार्च, 2019

**प्रारूप-4**

[नियम-5(1) देखिये ]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5(1) देखिए]

क्र./1201/री/2019.— चूँकि अयोध्यादेवी लखमीचंद गोयल परमार्थिक ट्रस्ट तर्फे-गुलाबचंद पिता लखमीचंद गोयल,

निवासी गोयल रेसीडेंसी, शरद कॉटन वरला रोड, सेंधवा, तहसील सेंधवा, जिला बड़वानी के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन नीचे वर्णित अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 15 अप्रैल, 2019 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियाँ करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, डॉ. योगेश भरसट, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सेंधवा, जिला बड़वानी का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 15 अप्रैल, 2019 को उक्त अधिनियम, की धारा-5 की धारा-(1) के द्वारा तथा अपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति को कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम तथा लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम	:	अयोध्यादेवी लखमीचंद गोयल परमार्थिक ट्रस्ट, सेंधवा.
कार्यालय	:	स्वर्णपुरी कॉलोनी मेन गेट संजीवनी हॉस्पिटल के सामने ए. बी. रोड, सेंधवा.
अचल सम्पत्ति	:	1. आर. ओ. प्लान्ट, सेविंग मशीन (सिलाई मशीन).
चल सम्पत्ति	:	1. एफ. डी. आर. बुलडाना अरबन बैंक/स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा सेंधवा कुल रुपये 13,00,974/- (अक्षरी तेरह लाख नौ सौ चौहोत्तर मात्र). 2. केश बैलेन्स बुलडाना अरबन बैंक/स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया. (सी. ए. अकाउन्ट) कुल रुपये 10,907/- (अक्षरी दस हजार नौ सौ सात मात्र) 3. नगद राशि रुपये 3,418/- (अक्षरी तीन हजार चार सौ अट्ठारह मात्र).

आज दिनांक 14 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की मुद्रा से जारी किया गया.

योगेश भरसट,

(238)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

### अन्य सूचनाएं

#### कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) अंतर्गत]

क्र./उपज/परि./2019/311.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपज/परि./658, दिनांक 14 मार्च, 2018 के द्वारा आदिवासी खनिज उत्खनन कामगार सहकारी समिति मर्या., हरगढ़ सिहोरा, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1757 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री विवेक जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी खनिज उत्खनन कामगार सहकारी समिति मर्या., हरगढ़ सिहोरा, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1757 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 13 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

(240)

जबलपुर, दिनांक 13 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)अंतर्गत]

क्र./उपज/परि./2019/312.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपज/परि./659, दिनांक 14 मार्च, 2018 के द्वारा शिक्षित बेरोजगार खनिज उत्खनन कामगार सहकारी समिति मर्या., सिहोरा, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1771 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री विवेक जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिक्षित बेरोजगार खनिज उत्खनन कामगार सहकारी समिति मर्या., सिहोरा, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1771 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 13 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

(241)

जबलपुर, दिनांक 13 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)अंतर्गत]

क्र./उपज/परि./2019/313.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपज/परि./646, दिनांक 13 मार्च, 2018 के द्वारा संत रविदास चर्मकार विकास सहकारी समिति मर्या., कटंगी, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1528 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री विवेक जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संत रविदास चर्मकार विकास सहकारी समिति मर्या., कटंगी, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1528 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 13 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

(242)

जबलपुर, दिनांक 13 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)अंतर्गत]

क्र./उपज/परि./2019/314.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपज/परि./503, दिनांक 27 फरवरी, 2018 के द्वारा पीताम्बर महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1906 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री विवेक जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्ड्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीताम्बर महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1906 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 13 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

(243)

जबलपुर, दिनांक 13 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) अंतर्गत]

क्र./उपज/परि./2019/315.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपज/परि./690, दिनांक 20 मार्च, 2018 के द्वारा राजीव गाँधी चर्म शिल्प उद्योग सहकारी समिति मर्या., पाटन, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1531 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री रघुनाथ कुदोलिया, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्ड्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजीव गाँधी चर्म शिल्प उद्योग सहकारी समिति मर्या., पाटन, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1531 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 13 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया।

**जी. पी. प्रजापति,**

सहायक पंजीयक.

(244)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 15 मार्च, 2019

#### संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/375.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/183, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कराडिया, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 619, दिनांक 21 दिसम्बर, 1993) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. गरेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री आर. एस. गरेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप श्री आर. एस. गरेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, आगर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(245)

आगर-मालवा, दिनांक 15 मार्च, 2019

#### संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/376.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1159, दिनांक 11 जुलाई, 2016 द्वारा बैजनाथ बीज उत्पादक



सहकारी संस्था मर्या., लाल, तहसील बडोद, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 45, दिनांक 24 जनवरी, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. गरेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री आर. एस. गरेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप श्री आर. एस. गरेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, आगर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(246)

आगर-मालवा, दिनांक 15 मार्च, 2019

### संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/377.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/183, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 द्वारा कस्तूरबा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बडागाँव, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 472, दिनांक 17 जून, 1994) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. गरेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री आर. एस. गरेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप श्री आर. एस. गरेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, आगर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(247)

आगर-मालवा, दिनांक 15 मार्च, 2019

### संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/378.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1160, दिनांक 11 जुलाई, 2016 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोटिया किशाना, तहसील बडोद, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 37, दिनांक 22 जनवरी, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. एस. गरेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री आर. एस. गरेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप श्री आर. एस. गरेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, आगर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(248)

आगर-मालवा, दिनांक 15 मार्च, 2019

### संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/379.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1390, दिनांक 09 अगस्त, 2017 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक

सहकारी संस्था मर्या., बरखेडा, तहसील बडोद, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 49, दिनांक 23 फरवरी, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री योगेश शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री योगेश शर्मा, सहकारी निरीक्षक का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप श्री योगेश शर्मा, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, आगर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(249)

आगर-मालवा, दिनांक 15 मार्च, 2019

### संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/380.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1167, दिनांक 11 जुलाई, 2016 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नान्या खेडी अहीर, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 50, दिनांक 23 मार्च, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री योगेश शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री योगेश शर्मा, सहकारी निरीक्षक का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप श्री योगेश शर्मा, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, आगर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(250)

आगर-मालवा, दिनांक 15 मार्च, 2019

### संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/381.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1154, दिनांक 11 जुलाई, 2016 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पानखेडी, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 17, दिनांक 12 नवम्बर, 2016) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप श्री विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, आगर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 15 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251)

आगर-मालवा, दिनांक 16 मार्च, 2019

### संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/384.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1715, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 द्वारा श्री बालाजी बीज उत्पादक

सहकारी संस्था मर्या., सारसी, तहसील बडोद, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 46, दिनांक 24 जनवरी, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप श्री विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री मुकेश राज दांगी, सहकारी निरीक्षक, आगर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(252)

आगर-मालवा, दिनांक 16 मार्च, 2019

### संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/385.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/242, दिनांक 13 फरवरी, 2017 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धानीखेडी, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 100, दिनांक 01 जुलाई, 2016) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप श्री विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री मुकेश राज दांगी, सहकारी निरीक्षक, आगर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(253)

आगर-मालवा, दिनांक 16 मार्च, 2019

### संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/386.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/242, दिनांक 13 फरवरी, 2017 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पचेटी, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 84, दिनांक 02 नवम्बर, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप श्री विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री मुकेश राज दांगी, सहकारी निरीक्षक, आगर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(254)

आगर-मालवा, दिनांक 16 मार्च, 2019

### संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/387.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1320, दिनांक 26 जुलाई, 2017 द्वारा चर्मकार सहकारी

संस्था मर्या., कानड, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 666, दिनांक 23 जून, 1958) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप श्री विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री मुकेश राज दांगी, सहकारी निरीक्षक, आगर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(255)

आगर-मालवा, दिनांक 16 मार्च, 2019

### संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/388.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1126, दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हडाई खेडा, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 71, दिनांक 01 सितम्बर, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप श्री विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री मुकेश राज दांगी, सहकारी निरीक्षक, आगर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(256)

आगर-मालवा, दिनांक 16 मार्च, 2019

### संशोधित आदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/389.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/590, दिनांक 07 अप्रैल, 2018 द्वारा नवीन चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्या., हडाई खेडा, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 379, दिनांक 09 जनवरी, 2018) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(1) एवं 70(1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

श्री विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप श्री विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री मुकेश राज दांगी, सहकारी निरीक्षक, आगर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

नवनियुक्त परिसमापक पूर्व परिसमापक से एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 16 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(257)

वैशाली जैन,

उप-पंजीयक.

### कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 02 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/315.—यह कि कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला इन्दौर के अंकेक्षण आदेशानुसार तत्कालीन वर्ष 2006-07 के ऑडिट हेतु नियुक्त अंकेक्षक श्री व्हाय. एस. कौशल, उप अंकेक्षक द्वारा पंवार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका

पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./727, दिनांक 18 फरवरी, 1998 की अंकेक्षण टीप के आक्षेप एवं सुझाव मद के तहत आपत्ति क्रमांक 9 में स्पष्ट किया गया है कि संस्था में वर्ष 2006-07 में मात्र 10 सदस्य शेष रह गये हैं जो कि पंजीकृत उपविधि के अनुरूप नहीं हैं। अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

उक्त आधार पर पंवार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./727, दिनांक 18 फरवरी, 1998 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/359, दिनांक 28 जनवरी, 2008 द्वारा संस्था को परिसमापन में लाया जाकर श्री आर. के. गुप्ता, उप अंकेक्षक को अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया था। संस्था के परिसमापक श्री एच. एस. तिवारी, सहकारी निरीक्षक को कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक/1165, दिनांक 12 मार्च, 2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 4054, दिनांक 29 अगस्त, 2017 से संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है।

श्री एच. एस. तिवारी, सहकारी निरीक्षक द्वारा अपने पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 2014 कार्यालयीन आवक क्रमांक 7670 से संस्था के पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके परीक्षण हेतु आदेश क्रमांक/परि./2014/3939, दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 से श्री प्रमोद तोमर, सहकारी निरीक्षक को परीक्षणकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। श्री तोमर द्वारा उक्त आदेश के परिपालन में आवक क्रमांक 8669, दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 को अपना जांच प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संस्था परिसमापक द्वारा संस्था को समाप्त करने हेतु दिनांक 14 नवम्बर, 2014 को संस्था की विशेष आमसभा बुलाई गई, आमसभा में संस्था के कुल 10 सदस्यों में से 6 सदस्य उपस्थित हुए आमसभा में संस्था की शून्य की गई बेलेंसशीट प्रस्तुत की गई। जिसका उपस्थित सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया। अन्य प्रस्ताव से संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही को सहमति प्रदान की गई। श्री तिवारी द्वारा अवलोकन के लिये उपलब्ध कराये गये रिकार्ड अनुसार संस्था के बैंक खाते से धनराशि प्राप्त की गई है तथा अंकेक्षण शुल्क एवं जिला संघ चन्दे का भुगतान किया जाना पाया गया। तत्समय तक का संस्था का अंकेक्षण कराया जाकर श्री तिवारी के पास उपलब्ध संस्था का समस्त रिकार्ड कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक है। श्री प्रमोद तोमर, सहकारी निरीक्षक द्वारा अपने परीक्षण में संस्था के पंजीयन समाप्त किया जाना संस्था सदस्यों के हित में होगा की टीप स्पष्टतः प्रस्तुत की गई है एवं संस्था परिसमापक द्वारा अपने प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में संस्था की भूमि शून्य संबंधी न्यायालयीन आदेश व्यवहार न्यायाधीन वर्ग-1, इन्दौर का आदेश क्रमांक/व्य.वाद क्र. 113ए/06 प्रस्तुत किया गया। जिससे संस्था की भूमि शून्य घोषित की गई है एवं संस्था परिसमापक द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-57(ग) के अन्तर्गत दिनांक 20 अगस्त, 2014 को समाचार-पत्र में सूचना प्रकाशित की गई जिसके अनुसार कोई भी दावे/आपत्ति परिसमापक को प्राप्त नहीं हुए। तत्पश्चात् परिसमापक श्री तिवारी द्वारा संस्था की शून्य बेलेंसशीट का अंकेक्षण कार्यालय द्वारा आदेशित अंकेक्षक श्री व्ही. के. उपरीत, सहकारी निरीक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर टीप सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को प्रस्तुत की गई जो उक्त द्वारा पारित की जाकर कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर को प्रस्तुत की जो शून्य बेलेंसशीट पारित होने से एवं संस्था में अब कोई भी कार्य शेष न होने एवं अनिवार्य सदस्यगणों की पूर्ति न होने से व संस्था जिन उद्देश्यों से पंजीकृत की गई थी। उसका उद्देश्य पूर्ण होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72(2) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर को प्रदत्त की गई है का प्रयोग करते हुए मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर पंवार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./727, दिनांक 18 फरवरी, 1998 का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 02 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(258)

इन्दौर, दिनांक 06 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/365.—कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर के विभिन्न आदेशों से पद्माशीष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर. 680, दिनांक 22 जून, 1999 का श्री एस. एन. खण्डेलवाल, सहकारी निरीक्षक, श्री जगदीश जलोदिया, सहकारी निरीक्षक एवं श्री एच. एस. तिवारी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49(8) के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री जलोदिया द्वारा कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर को प्रस्तुत पत्र दिनांक 13 अप्रैल, 2017 से लिखा गया कि पद्माशीष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को परिसमापन में लाया जाना उचित है एवं अंकेक्षक श्री प्रमोद बडोनिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा वर्ष 09-10 में कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला इन्दौर को प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अंकेक्षण आक्षेप एवं सुझाव क्रमांक 01 में संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशांसा की गई थी।

अतः उक्त आधार पर कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला इन्दौर द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2017/4478, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 से जारी किया गया। जिसके अन्तर्गत संस्था को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2018/580, दिनांक 24 जनवरी, 2018 से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम, की धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री एच. एस. तिवारी, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है। श्री एच. एस. तिवारी, सहकारी निरीक्षक द्वारा उक्त आदेश के तारतम्य में दिनांक 02 मार्च, 2018 को प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र ग्वालियर एवं स्थानीय समाचार-पत्र में अधिनियम, 1962 की धारा-57(ग) के अन्तर्गत सूचना-पत्र प्रकाशित किया जाकर दावे/आपत्ति प्राप्त करने की सूचना जारी की गई। परन्तु निर्धारित अवधि में कोई भी दावे/आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। परिसमापक श्री एच. एस. तिवारी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था की विशेष साधारण सभा दिनांक 27 मार्च, 2018 को आयोजित की गई जिसमें संस्था का पंजीयन निरस्त कराने हेतु संस्था सदस्यों को अवगत कराया गया। कि संस्था की लेनदारी-देनदारी का निराकरण करते हुए बेलेन्सशीट शून्य कर दी गई है। साथ ही संस्था में कोई भूमि, भूखण्ड आदि शेष नहीं है और न ही कोई कार्य शेष है। अतः इस स्थिति में संस्था का पंजीयन किया जाना उचित है। उक्त प्रस्ताव को साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। संस्था परिसमापक श्री तिवारी द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी पूर्ण कार्यवाही उपरांत दिनांक 11 जनवरी, 2019 को कार्यालय को प्राप्त दिनांक 14 जनवरी, 2019 आवक क्र. 374 से अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसके परीक्षण उपरांत पाया गया कि संस्था की लेनदारी देनदारी निरंक होने से जिसका अंकेक्षण कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला इन्दौर के अंकेक्षण आदेश से श्री अनिल राय, उप-अंकेक्षक द्वारा वर्ष 2017-18 का पूर्ण किया जाकर शून्य बेलेन्सशीट की अंकेक्षण टीप कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला इन्दौर को प्रस्तुत की गई। अंतिम प्रतिवेदन में शून्य बेलेन्सशीट प्रस्तुत होने से एवं कक्ष द्वारा परीक्षण में उक्त कार्यवाही पूर्ण होना पाया गया एवं संस्था में अब कोई कार्य शेष न होने से व संस्था जिन उद्देश्यों से पंजीकृतकी गई थी। उसका उद्देश्य पूर्ण होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72(2) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर को प्रदत्त की गई है का प्रयोग करते हुए मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर पद्माशीष गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर. 680, दिनांक 22 जून, 1999 का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(259)

इन्दौर, दिनांक 07 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/392.—यह कि कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला इन्दौर के अंकेक्षण आदेशानुसार तत्कालीन वर्ष 2013-14 के ऑडिट हेतु नियुक्त अंकेक्षक श्री सतीश खण्डेलवाल, वसनि वर्ष 2014-15 के अंकेक्षण श्री संतोश जोशी, वसनि द्वारा चाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./726, दिनांक 05 फरवरी, 1998 की अंकेक्षण टीप के आक्षेप एवं सुझाव मद के तहत आपत्ति क्रमांक 9 एवं 2 में स्पष्ट किया गया है कि संस्था में अंकेक्षण वर्षों में मात्र 20 सदस्य शेष रह गये हैं जो कि पंजीकृत उपविधि के अनुरूप नहीं है एवं संस्था के प्रशासक श्री एच. एस. तिवारी, सहकारी निरीक्षक द्वारा कार्यालय को प्रस्तुत पत्र आवक क्रमांक 14459, दिनांक 24 नवम्बर, 2017 अतः संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

उक्त आधार पर चाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./726, दिनांक 05 फरवरी, 1998 है को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 4478, दिनांक 04 दिसम्बर, 2017 जारी किया गया जिसका जवाब प्रस्तुत न होने से पुनः कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 318, दिनांक 22 जनवरी, 2018 जारी किया गया जिसका जवाब कार्यालय को प्राप्त हुआ। इस आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/581, दिनांक 24 जनवरी, 2018 द्वारा संस्था को परिसमापन में लाया जाकर श्री एच. एस. तिवारी, सहकारी निरीक्षक को अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया था। श्री एच. एस. तिवारी, सहकारी निरीक्षक द्वारा अपने पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 2018 कार्यालयीन आवक क्रमांक 12287 से संस्था के पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था परिसमापक द्वारा अपने प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-57 (ग) के अन्तर्गत दिनांक 02 मार्च, 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र में सूचना प्रकाशित की गई एवं स्थानिय समाचार-पत्र में भी सूचना प्रकाशित की गई। जिसके अनुसार कोई भी दावे/आपत्ति परिसमापक को समय सीमा में प्राप्त नहीं हुए। इस आधार पर परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा दिनांक 28 मार्च, 2018 को संस्था कार्यालय में आहूत की गई जिसमें 20 सदस्यों में से 10 सदस्य उपस्थित हुए जिनके द्वारा संस्था के वित्तीय पत्रकों को शून्य करने का अनुमोदन किया गया एवं संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई। तत्पश्चात् परिसमापक श्री एच. एस. तिवारी, सहकारी निरीक्षक

द्वारा संस्था की शून्य बेलेन्सशीट का अंकेक्षण कार्यालय द्वारा आदेशित अंकेक्षक श्रीमती दीपमाला राठौर, सहकारी निरीक्षक द्वारा अंकेक्षण कराया जाकर टीप सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) को प्रस्तुत की गई। संस्था में अब कोई भी कार्य शेष न होने एवं अनिवार्य सदस्यगणों की पूर्ति न होने से व संस्था जिन उद्देश्यों से पंजीकृत की गई थी। उसका उद्देश्य पूर्ण होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72(2) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर को प्रदत्त की गई है का प्रयोग करते हुए मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला इन्दौर चाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर पंजीयन क्रमांक/डी.आर./आय.डी.आर./726, दिनांक 05 फरवरी, 1998 का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 07 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(261)

इन्दौर, दिनांक 06 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/381. आदित्य गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर, पंजीयन क्रमांक 816, दिनांक 07 जुलाई, 2001 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 71, दिनांक 22 जनवरी, 2019 द्वारा संस्था बर्हिगामी अध्यक्ष/प्रशासक श्री एम. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी के पत्र/ आवक क्रमांक निरंक दिनांक 03 जनवरी, 2019 के आधार पर जारी किया गया था। जिसमें सहायक आयुक्त (अंके.) ने ऐसी गृह निर्माण सहकारी संस्थाएँ जो विगत 5 वर्षों से अंकेक्षण नहीं करा रही हैं या आकार्यशील हैं। उन संस्थाओं के स्थिति विवरण पत्रकों की पुनरावृत्ती होकर अंकेक्षण द्वारा “द” वर्ग दिया गया है एवं संस्था पंजीकृत पते पर नहीं है तथा प्रशासकों को संस्था का रिकार्ड अप्राप्त है। ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध परिसमापन / पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही प्रस्तावित की साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि दिनांक 02 जनवरी, 2017 को आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा इन्दौर जिले की समीक्षा बैठक एवं मासिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी उक्त प्रकार की संस्थाओं के विरुद्ध पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जाने के निर्देश दिये गये थे। संस्था के प्रभारी अधिकारी श्री एम. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक 71, का जवाब कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रशासक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत पत्र में उल्लेखित किया गया है कि संस्था का रिकार्ड अप्राप्त रहा एवं संस्था पंजीकृत पते पर कार्यरत नहीं है। ऐसी स्थिति में संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित होगा। इस आशय का उल्लेख श्री एम. एस. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी द्वारा अपने प्रस्तुत पत्र में किया गया है। उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि संस्था में कोई कार्य शेष नहीं है और संस्था अपने पंजीयन उद्देश्यों की पूर्ति कर चुकी है इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है।

अतः मैं, मनोज कुमार गुप्ता, उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटीज, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99/ पंद्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक सहकारी संस्थाएँ मध्यप्रदेश की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदित्य गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., इन्दौर को एतद्वारा आज दिनांक 06 मार्च, 2019 को परिसमापन में लाता हूँ तथा धारा-70(1) के अंतर्गत श्री पी. सी. सोलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

मनोज कुमार गुप्ता,  
उप-रजिस्ट्रार.

(260)

**कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन**

खरगोन, दिनांक 19 सितम्बर, 2018

**कारण बताओ सूचना-पत्र**

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

मत्स्य उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लखनपुरा तह. बड़वाह, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1598, दिनांक 28 जुलाई, 2010 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है।

3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था द्वारा साधारण सभा/ संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है। तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(263)

खरगोन, दिनांक 19 सितम्बर, 2018

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पालसुद तह. बड़वाह, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1654, दिनांक 11 जुलाई, 2012 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था द्वारा साधारण सभा/ संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है। तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(264)

खरगोन, दिनांक 19 सितम्बर, 2018

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बामनपुरी तह. बड़वाह, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1950, दिनांक 14 मार्च, 2014 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।



5. संस्था द्वारा साधारण सभा/ संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है। तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(265)

खरगोन, दिनांक 19 सितम्बर, 2018

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आस्तरिया तह. बड़वाह, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 2103, दिनांक 21 मार्च, 2016 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था द्वारा साधारण सभा/ संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है। तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(266)

खरगोन, दिनांक 19 सितम्बर, 2018

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महाराजखेड़ी तह. कसरावद, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 2165, दिनांक 31 मार्च, 2017 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।

5. संस्था द्वारा साधारण सभा/ संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है। तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(267)

खरगोन, दिनांक 19 सितम्बर, 2018

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोदला तह. भिकनगांव, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 2046, दिनांक 27 नवम्बर, 2015 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था द्वारा साधारण सभा/ संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है। तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(268)

खरगोन, दिनांक 19 सितम्बर, 2018

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बालसमुंद तह. कसरावद, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1695, दिनांक 10 जनवरी, 2014 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।

5. संस्था द्वारा साधारण सभा/ संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है। तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(269)

खरगोन, दिनांक 19 सितम्बर, 2018

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भामपुरा तह. महेश्वर, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1657, दिनांक 11 जुलाई, 2012 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था द्वारा साधारण सभा/ संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है।
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है। तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(270)

खरगोन, दिनांक 19 सितम्बर, 2018

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जुना बलवाड़ा तह. बड़वाह, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1656, दिनांक 11 जुलाई, 2012 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।

4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा साधारण सभा/ संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है. तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(271)

खरगोन, दिनांक 19 सितम्बर, 2018

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलझोपा तह. भगवानपुरा, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1463, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है. संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा साधारण सभा/ संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है. तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(272)

खरगोन, दिनांक 19 सितम्बर, 2018

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

नागरजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोरडिया तह. झिरन्या, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1891, दिनांक 10 मार्च, 2014 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है. संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा साधारण सभा/ संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है. तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(273)

खरगोन, दिनांक 19 सितम्बर, 2018

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आशापुर तह. महेश्वर, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1606, दिनांक 07 फरवरी, 2016 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है. संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा साधारण सभा/ संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है. तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(274)

खरगोन, दिनांक 19 सितम्बर, 2018

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

सरस्वती सहकारी मुद्रणालय एवं स्टेशनरी विपणन संस्था मर्या., खरगोन तह. खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 2063, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है. संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा साधारण सभा/ संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है. तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(275)

खरगोन, दिनांक 19 सितम्बर, 2018

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिजलगोन तह. कसरावद, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 2138, दिनांक 16 नवम्बर, 2016 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है. संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा साधारण सभा/ संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है. तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(276)

खरगोन, दिनांक 19 सितम्बर, 2018

#### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिटनेरा तह. भिकनगांव, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 2001, दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है. संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा साधारण सभा/ संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है. तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(277)

खरगोन, दिनांक 19, 22 सितम्बर, 2018

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

किसान बालाजी बीज उत्पादक एवं क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., बेडिया, तह. सनावद, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1674, दिनांक 4 दिसम्बर, 2012 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है. संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा साधारण सभा/ संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है. तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(278)

खरगोन, दिनांक 19, 22 सितम्बर, 2018

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

दशमेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झिरन्या तह. झिरन्या, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1507, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है. संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा साधारण सभा/ संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है. तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(279)

खरगोन, दिनांक 19, 22 सितम्बर, 2018

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेल्दा तह. भिकनगांव, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1506, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है. संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था द्वारा साधारण सभा/ संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है. तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(280)

राजेश क्षत्री,  
उप-पंजीयक.





# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अप्रैल 2019-चैत्र 22 शके 1941

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 7 नवम्बर, 2018

1. **मौसम एवं वर्षा.**—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा. जिला बैतूल में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

( अ ) 0.1 मिली मीटर से 17.4 मिली मीटर तक:- तहसील बैतूल, घोड़ाडोगरी, चिचौली, मुलताई ( बैतूल ) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

( ब ) 17.5 मिली मीटर से 34.9 मिली मीटर तक:- तहसील आमला ( बैतूल ) में उक्त मिली मीटर के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. **जुताई** :- जिला मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, टीकमगढ़, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरोली, रतलाम, उज्जैन, अलीराजपुर, धार, इन्दौर, बड़वानी, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा व सिवनी में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

3. **बोनी**:- जिला मुरैना, दतिया, अशोकनगर, गुना, टीकमगढ़, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरोली, नीमच, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, देवास, अलीराजपुर, इन्दौर, बड़वानी, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, व सिवनी में बोनी कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

4. **फसल स्थिति** :-राज्य के सभी जिलों में फसल स्थिति सन्तोष जनक होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. **कटाई** :- जिला खरगौन, जबलपुर, में खरीफ फसलों की कटाई चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.

6. **सिंचाई** :-जिला रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, शाजापुर, बड़वानी, विदिशा, भोपाल, बैतूल तथा बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

7. **पशुओं की स्थिति**:-राज्य के सभी जिलों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

8. **चारा** :- राज्य के सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **बीज**:- राज्य के सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

10. **खेतिहर श्रमिक** :- राज्य के सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 7 नवम्बर, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुथरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1. जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़	. . . . . . . . . . . .				
<b>2. जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा	. . . . . . . . . .				
<b>3. जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. रौन+मिहोना 7. गोरमी 8. मौ	. . . . . . . . . . . . . . . .				
<b>4. जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. चीनोर 5. घाटीगांव	. . . . . . . . . .				
<b>5. जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना समान. (2) गन्ना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. इन्दरगढ़ 4. बढौनी 5. भाण्डेर	. . . . . . . . . .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>6. जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..		4. (1) चना, सरसों.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बैराढ़	..				
9. बदरवास	..				
<b>7. जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..		4. (1) गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढौरा	..				
<b>8. जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	..				
<b>9. जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) तूअर, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	..				
<b>10. जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ा मलहरा	..				
8. लवकुशनगर	..				
9. बक्सवाहा	..				
10. महाराजपुर	..				
11. चंदला	..				
12. धुवारा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>11. जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
6. देवेन्द्रनगर	. .				
7. अमानगंज	. .				
8. सिमरिया	. .				
9. रैपुरा	. .				
<b>12. *जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बीना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खुरई	. .		(2) . .		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				
12. जैसीनगर	. .				
<b>13. जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4.(1) तुअर समान.	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
<b>14. जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) तुअर समान.	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	. .				
<b>15. जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) मसूर अधिक. गेहूँ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		अलसी, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकचुलियान	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>16. जिला शहडोल:</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू.	3. . . 4. (1) तुअर, चना, गेहूँ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जयसिंहनगर	..				
4. बुद्धार	..				
5. गोहपारू	..				
6. जैतपुर	..				
<b>17. जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) राई-सरसों, मसूर, चना अधिक. अलसी कम. (2) मसूर सुधरी. शेष फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
<b>18. जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. चोंदिया	..				
4. नौरोजाबाद	..				
5. मानपुर	..				
<b>19. जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, राई-सरसों, मसूर, चना कम. अलसी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. बहरी	..				
7. रामपुरनैकिन	..				
<b>20. जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) तुअर अधिक. (2) तुअर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सरई	..				
4. माडा	..				
5. सिंगरौली	..				
<b>21.*जिला मंदसौर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. . .	7. . . 8. . .
1. सुवासरा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर+दलोदा	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुंधड़क्का	..				
10. संजीत	..				
11. कयामपुर	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>22. जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2 बोनी चालू है.	3. . . 4.(1) मसूर, मटर, गेहूँ चना, तुअर, सरसों, मसूर, अलसी कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. सिंगौली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	..				
<b>23. जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2 जुताई व बोनी चालू	3. . . 4. (1) गेहूँ, शवा, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रतलाम	..				
<b>24. जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2 जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
<b>25. जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>26. जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2 बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) तुअर अधिक. (2) तुअर समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..				
7. गुलाना	..				
<b>27. जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2 बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिपल्या	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>28. *जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. मेघनगर	..		(2) ..		
3. पेटलावद	..				
4. रामा	..				
5. झाबुआ	..				
6. राणापुर	..				
<b>29. जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई बोनी चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	..		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोंडवा	..				
5. उदयगढ़	..				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	..				
7. भामरा	..				
<b>30. जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) कपास, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान है.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>31. जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. गौतमपुरा	..				
5. हातोद	..				
6. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
<b>32. जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. कटाई चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) धान, मक्का, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		कपास, तुअर अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		ज्वार कम.		
4. खरगौन	..		(2) ..		
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. सनावद	..				
10. झिरन्या	..				
<b>33. जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) गन्ना, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		(2) गन्ना, कपास समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. अंजड	..				
8. बरला	..				
9. निवाली	..				
10. चाचरियी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>34. जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खालवा	..				
4. पंधाना	..				
5. हरसूद	..				
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
<b>36. जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. समसाबाद	..				
9. त्योंदा	..				
10. पठारी	..				
11. ग्यारसपुर	..				
<b>38. जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. बैरागढ़	..				
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई बोनी चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..		4. (1) ज्वार, गन्ना समान. तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	..				
4. नसरूल्लागंज	..				
5. रेहटी	..				
6. श्यामपुर	..				
7. जावर	..				
8. बुधनी	..				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>40. जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) धान तुअर समान. गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
<b>41. जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	4.0		4. (1) धान अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .		(2) धान सुधरी हुई	चारा पर्याप्त.	
3. घोड़ाडोंगरी	14.0				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	16.1				
6. मुल्ताई	13.5				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	21.0				
<b>42. जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	. .		4. (1) धान, गन्ना अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिवनी-मालवा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढ़ी	. .				
<b>43. जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
<b>44. जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य व बोनी कार्य चालू है. कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) धान अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		(2) धान सुधरी, तुअर बिगड़ी हुई है.	चारा पर्याप्त.	
3. सीहोरा	. .				
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
<b>45. जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) तुअर सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>46. जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, धान, गन्ना अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	..				
2. गोटेगांव	..				
3. करेली	..				
4. गाडरवारा	..				
5. तेंदूखेड़ा	..				
<b>47. जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, धान, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला	..				
2. नैनपुर	..				
3. बिछिया	..				
4. निवास	..				
5. नारायणगंज	..				
6. घुघरी	..				
<b>48. *जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. डिण्डोरी	..				
2. शाहपुरा	..				
3. बजाग	..				
<b>49. जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है. कटाई चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..				
2. तामिया	..				
3. परासिया	..				
4. जूनारदेव	..				
5. सोसर	..				
6. बिछुआ	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. उमरेठ	..				
10. मोहखेड	..				
11. हरई	..				
12. चांद	..				
13. पांडुर्णा	..				
<b>50. जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है. बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. बरघाट	..				
3. कुरई	..				
4. कवलारी	..				
5. लखनादोन	..				
6. छपारा	..				
7. धनीरा	..				
8. घंसोर	..				
<b>51. जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. किरनापुर	..				
4. बैहर	..				
5. वारासिवनी	..				
6. कटंगी	..				
7. लालबर्गा	..				
8. तिरोडी	..				
9. परसवाड़ा	..				
10. बिरसा	..				
11. खैरलाँजी	..				

\*जिला:- जिला सागर, मन्दासौर, झाबुआ डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,  
संयुक्त आयुक्त,  
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.